



गौतम बुद्ध प्राविधिक विश्वविद्यालय

(पूर्ववर्ती उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय)

इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ।

दूरभाष संख्या: 0522-2732193 फैक्स संख्या: 0522-2732185

पत्र सं०: गौ०बु०प्रा०वि०/कुस०का०/एके०/2010/13645-14234

दिनांक: ०1 जुलाई, 2010

स्पीडपोस्ट

सेवा में,

निदेशक/प्राचार्य,

प्राविधिक विश्वविद्यालय से सम्बद्ध

समस्त अभियंत्रण एवं व्यावसायिक संस्थाएं।

विषय: प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने हेतु प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 17.6.10 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया प्रदेश की शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग रोकने हेतु गठित राज्य स्तरीय समिति की दिनांक 17.6.10 को सम्पन्न बैठक के क्रम में शासन के पत्र सं० 1820/सोलह-1-2010-250/96 टी.सी. दिनांक 21 जून, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने की अपेक्षा है कि उक्त समिति की दिनांक 17.6.2010 को सम्पन्न बैठक में रैगिंग की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही कराए जाने के लिए निम्न निर्णय लेते हुए निम्नवत् दिशा-निर्देश दिये गये हैं:-

1. रैगिंग रोकने की प्राथमिक जिम्मेदारी संस्था की है। प्रत्येक संस्था स्तर पर रैगिंग की रोकथाम के सभी सम्भव उपाय सुनिश्चित किये जाएं। कोई भी रैगिंग की घटना घटित होने पर संस्थान की जिम्मेदारी होगी।
2. सभी संस्थानों में एण्टी रैगिंग कमेटी गठित होनी चाहिए तथा कमेटीज द्वारा रैगिंग रोकने के लिए संस्थाओं के सभी सम्भावित स्थानों यथा कैन्टीन, छात्रावास, भवन के कारीडोर, सभी भवनों के प्रत्येक फ्लोर, सभी ब्लॉकों आदि में निरन्तर निगरानी रखी जाए, जिससे रैगिंग की सम्भावना न हो।
3. सभी संस्थाओं में रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 के प्राविधानों का तत्काल व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए। उक्त अधिनियम विश्वविद्यालय के पत्र सं० उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/एके०/2010/560-1150 दिनांक 21 अप्रैल, 2010 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित करते हुए

अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश पूर्व ही दिये गये हैं। उक्त अधिनियम की प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

4. जिन संस्थाओं में पर्याप्त हास्टल नहीं है, वहाँ छात्रों को यथा सम्भव हास्टल की सुविधा अनिवार्य रूप से मुहैया करायी जाए तथा परिसर से बाहर रह रहे छात्रों के आवासों एवं आस-पास का संस्थान की एण्टी रैगिंग दस्ते द्वारा निरीक्षण करते हुए वहाँ छात्रों की सुविधा एवं आपसी माहौल को निरन्तर चेक किया जाए ताकि परिसर के बाहर भी रैगिंग की घटना प्रकाश में न आ पाए।
5. सभी संस्थाओं में अधिनियम के प्राविधानों को होर्डिंग के माध्यम से प्रदर्शित कराया जाए ताकि उक्त अधिनियम के प्राविधान सभी के संज्ञान में आ सकें तथा रैगिंग रोकने में सहायता मिल सके। प्रत्येक संस्था से अपेक्षा की गई है कि वह अपने यहाँ रैगिंग के संबंध में हेल्पलाइन तत्काल शुरू करेंगे।
6. समस्त संस्थाएं रैगिंग रोकने के शासनादेशों एवं अधिनियम को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे।
7. छात्रों एवं उनके अभिभावकों को प्रवेश के समय ही रैगिंग रोकने के संबंध में विस्तृत प्राविधानों की जानकारी देते हुए उनसे प्रतिशपथ पत्र प्राप्त किये जाएं, ताकि अभिभावक भी इस दिशा में अपना योगदान दे सकें।

उक्त के संदर्भ में पूर्व ही विश्वविद्यालय द्वारा प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक प्रभावी उपाय सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में शासन के पत्र सं० 821/सोलह-1-2009-1-250/96 दिनांक 26 मार्च, 2009 की प्रति विश्वविद्यालय के पत्र सं० 30प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/एके./2009/46190-46626 दिनांक 28 मार्च, 2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

इसी संबंध में प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों (पत्र सं० एफ-1-16/2007(सी.पी.पी.-II) दिनांक 17 जून, 2009) की प्रति संलग्न कर विश्वविद्यालय के पत्र सं० 30प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/एके०/2009/11691-17125 दिनांक 09.7.2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

इसके अतिरिक्त रैगिंग की समस्या के रोकथाम हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जाने हेतु मा० उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 08 मई, 2009 का समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित किये जाने के संबंध में मा० उच्चतम न्यायालय के पत्र सं० 370/04/XI-A, दिनांक 12 जून, 2009 जो शासन के पत्र सं० 1835/सोलह-1-2009-1-250/96 दिनांक 03 सितम्बर, 2009 द्वारा प्राप्त हुआ, की प्रति संलग्न कर विश्वविद्यालय

के पत्र सं० उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/एके०/2009/26742-27431 दिनांक 08 सितम्बर, 2009 संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

इसी संबंध में उच्चतर शिक्षण संस्थानों में रैगिंग निषेध से संबंधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम-2009 में दिये गये प्राविधानों के अनुपालन के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के पत्र सं० एफ-1-16/2009(सी.पी.पी.-11) माह सितम्बर, 2009 की प्रति भी विश्वविद्यालय के पत्र सं० उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/एके०/2009/41897-42505 दिनांक 19 नवम्बर, 2009 द्वारा समस्त संस्थाओं को प्रेषित किया गया है।

उपर्युक्त सूचना के साथ रैगिंग की रोकथाम के विषय में आपको पुनः सूचित किया जाता है कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्णय के अनुसार संस्था स्तर पर प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए मा० उच्चतम न्यायालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, रैगिंग का प्रतिषेध अधिनियम-2010 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार संस्था स्तर पर अपेक्षित व्यवस्थाएं गठित की जाएं और इस परिपेक्ष्य में निर्गत निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,



(यू० एस० तोमर)

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त।

प्रतिलिपि: प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन, सचिवालय, लखनऊ को शासन के पत्र सं० 1820/सोलह-1-2010-250/96 टी.सी. दिनांक 21 जून, 2010 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

(यू० एस० तोमर)

कुलसचिव